



# DrGenius Academy Welcomes You

Let's Begin Journey Together  
And Achive Dream  
Together

# Dr Surendra Dhiwa

Educator

( Law | Public administration and management )

( Polity and IR | Audit and Accounting )



धारा → (11) → राज्य निर्वाचन आयोग -

(12) प्रत्याभोजन


(13) ERO निर्वाचन एजिस्ट्रेट्स अधिकारी

(14) अपेक्षा/निर्देश -

धारा (15) → मिथ्या घोषणा 1 वर्ष कारावास / 2000-5000/- रुपये / दंड  
 ↓  
 लिखित रूप में


धारा 16 मुख्य निर्वाचन अधिकारी →

→ राज्य सरकार से परामर्श के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा



धारा (17) जिला निर्वाचन अधिकारी -

धारा (18) → स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी वृन्द का उपलब्ध कराया जाता



**धारा 19** → अधिकारियों और कर्मचारीवृद्ध को  
राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर  
रुमसा जाता →

**धारा 20** → निर्वाचक नामावली तैयार करने आदि से  
संलग्न 'नदीय कर्तव्यों' के अंग होने पर

सजा	जुर्माना
✓ जुमाट से 2 वर्ष तक	1500-2000 ₹

## धारा 20

- - चायालय स्वसंज्ञान नही ले सकता है इसके लिये राज्य निर्वाचन आयोग / मुख्य निर्वाचन अधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा शिवायत कराने पर ही कार्यवाही संभव ।
- नुकसानी (Damage) हेतु वाद नही लाया जाएगा ।

धारा 21

→ सदस्य होने के अर्हता व्यक्ति (योग्य व्यक्ति)

- ① नगरपालिका के किसी वर्ग का निर्वाचक हो
- ② SC/ST/OBC/प्रदलित हेतु आरक्षित सीट पर संबंधित वर्ग का ही उम्मीदवार
- ③ उम्र ⇒ 21 वर्ष से कम नहीं
- ④ स्वच्छ शौचालय → [उदीवारे + छत + दरवाजा + जलबंध  
शौचालय प्रणाली]
- ⑤ परिवार के सदस्य सुले में शौच नहीं।  
↓  
पति/पत्नी + बच्चे + माता-पिता साथ रहते हैं तो।



21 (5)

→ कृत्रिम रूप से पर निर्वाचन हेतु विशेष अर्हता -

① आयु 21-35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

② इनसे ज्यादा विरोध अर्हता वाली सीट आरक्षित नहीं की जा सकती -

(i) SC/ST/OBC/महिलाओं के लिए अधिकतम 2 सीट आरक्षित होंगी

(ii) जहां SC/ST/OBC/महिला की सीटें 3 या 3 से कम हैं वहाँ ① सीट आरक्षित होगी

(iii) जहाँ आरक्षित सीटें 5 या 5 से कम हैं - वहाँ ① सीट

eg ①4 → 
$$\begin{array}{r} 5 + 5 + 4 \\ \downarrow \downarrow \downarrow \\ 1 \quad 1 \quad 0 \end{array} \Rightarrow \textcircled{2} \checkmark$$







































# THANK YOU

For Join Our Session



 +91-9636280355

[www.drgenius.academy.com](http://www.drgenius.academy.com)

